न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व मुकदमा नम्बर :– 1/2024

जीसीएमएस नम्बर :– 2024/00100 वाद पत्र

उनवान

1. तुलछीराम गोदपुत्र परसी बलाई पिता श्रीराम बलाई निवासी खाखरमाला तहसील रायपुर

वादी

बनाम

1. बख्तावरी उर्फ कस्तुरी पत्नि रामा बलाई निवासी खाखरमाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. मांगी पुत्री परसा बलाई निवासी खाखरमाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा राजस्थान

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. सुनील कुमार जैन – वादी अधिवक्ता
2. हरिशचन्द टेलर – प्रतिवादी 1, 2 अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक:– 15/1/2026

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि:–

1. ग्राम खाखरमाला पटवार हल्का खाखरमाला तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में निम्न आराजियात स्थित है –

क.स.	ग्राम का नाम	आराजी संख्या	रकबा है0 में
1	खाखरमाला	135	0.16
2	खाखरमाला	136	0.04
3	खाखरमाला	138	0.06
4	खाखरमाला	139	0.05
कुल किता, कुल रकबा		4	0.31

2. उक्त वर्णित आराजियात के साबिक आराजी संख्या 84, 85, 86, 87 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा थे जिसका नये नम्बर व रकबे मे से हाल आराजी संख्या 137 रकबा 0.06 है0 गे.मु. सड़क व आराजी संख्या 140 रकबा 0.02 गे.मु. आबादी में दर्ज हो चुकी है अर्थात हाल आराजी संख्या 137 व 140 भी साबिक आराजी संख्या 86, 87 से ही बनी है।

3. इसी तरह ग्राम नान्दुड़ा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में निम्न आराजियात स्थित है –

क.स.	ग्राम का नाम	आराजी संख्या	रकबा है0 में
1	नान्दुड़ा	373	0.18
2	नान्दुड़ा	446	0.36
3	नान्दुड़ा	447	0.01
4	नान्दुड़ा	448	0.23
5	नान्दुड़ा	449	0.02
6	नान्दुड़ा	450	0.07
7	नान्दुड़ा	451	033
कुल किता, कुल रकबा		7	1.20

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

4. उक्त वर्णित आराजियात के साबिक आराजी संख्या 312, 363, 364, 365, 366, 367 कुल किता 6 कुल रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा थे। उक्त वर्णित ग्राम खाखरमाला व ग्राम नान्दुड़ा में स्थित हाल रकबा कमशः 0.31 है0 व 1.12 है0 को आगे विवादित आराजियात से सम्बोधित किया जायेगा। विवादित आराजियात परसा बलाई जो कि वादी के गोद पिता है के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की थी परसा जी की मृत्यु के उपरांत विवादित आराजियात परसा की पत्नी अर्थात वादी की गोद माता लेहरी बेवा परसा के नाम पर अभिलिखित की गयी लेहरी ने अपने कोई पुत्र संतान जीवित न रहने से पारिवारीक रीति–रिवाज अनुसार गोद लेने एवं देने की प्रकिया का निर्वहन करते हुये वादी को विधिवत जाति रस्म रिवाज अनुसार दिनांक 31.12.79 को गोद ले लिया तथा इस संबंध में एक रजिस्टर्ड गोदनामा भी लेहरी पत्नी परसा बलाई ने वादी के हक में वांछित स्टाम्प पर लिखा अपना अंगुष्ठ कर साखे आदि दिला पंजीकृत करा दिया इस प्रकार वादी लेहरी एवं परसा बलाई का विधिवत गोदपुत्र होकर उनकी समस्त सम्पदाओं पर बहैसियत कोपार्सनर काबिज हो उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है यहां यह अंकित करना भी सुसंगत होगा कि लेहरी एवं परसा बलाई के नुत्फे से एक पुत्री मांगी प्रतिवादी संख्या 2 व एक पुत्र मृतक रामा का जन्म हुआ तथा रामा की शादी प्रतिवादी संख्या 1 के साथ हुयी किन्तु दुर्भाग्य से रामा का आकस्मिक निधन हो गया तथा परसा बलाई का भी निधन हो चुका था इस प्रकार लेहरी के दिनांक 31.12.79 को कोई किसी प्रकार का जायन्दा लड़का जीवित नहीं था इतना ही नहीं रामा के भी कोई संतान नहीं थी तथा उसकी पत्नी प्रतिवादी संख्या। भी रामा की मृत्यु उपरांत नाता विवाह कर लिया इस पर लेहरी पत्नी परसा बलाई ने वादी को विधिवत गोद लेने देने की प्रक्रिया जाति रस्म रिवाज अनुसार पूर्ण करते हुये गोद ले लिया इस प्रकार वादी मृतक लेहरी एवं परसा का गोदपुत्र होकर उनकी समस्त चल–अचल सम्पदाओं पर काबिज चला आ रहा है।

5. कुछ वर्षों पूर्व वादी की गोद माता लेहरी का भी निधन हो गया उसके निधन उपरांत विवादित आराजियात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम पर अभिलिखित की जानी चाहिये थी किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों से मिलाभगती कर वादी के मृतक लेहरी व परसा का विधिवत गोदपुत्र होते हुये भी विवादित आराजियात वादी के नाम पर अभिलिखित न करा चुपके से तन्हा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपने नाम पर अभिलिखित करा ली जो सर्वथा गलत होकर अवैध है क्योंकि वादी मृतक लेहरी का विधिवत गोदपुत्र होने से एवं कब्जा व दख़ल भी तन्हा वादी का ही विवादित आराजियात पर होने से विवादित आराजियात अव्वल तो कानूनन तन्हा वादी के नाम पर ही अभिलिखित की जानी चाहिये थी क्योंकि कोई कब्जा व दखल प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नही था व है फिर भी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम पर बिना कब्जे की तहकीकात किये विवादित आराजियात अभिलिखित कर दी गयी जो प्रारम्भ से ही शुन्य होकर गलत होकर अवैध है। परसा की लेहरी पत्नी थी तथा रामा व मांगी

पुत्री थी रामा एवं बख्तावरी के कोई संतान नहीं हुयी तथा रामा की मृत्यू उपरांत बख्तावरी ने भी नाता विवाह कर लिया। इस पर लेहरी ने तुलछीराम को गोद ले लिया। इस प्रकार रामा का जो हक व हिस्सा विवादित आराजियात में 1/3 बनता है। वह उसकी मृत्यु उपरांत उसकी माता लेहरी एवं पत्नी बख्तावरी में कानूनन निहित होता है अर्थात 1/6 हक व हिस्सा लेहरी में व शेष 1/6 हक व हिस्सा बख्तावरी में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत निहित हुआ इस प्रकार विवादित जायदाद में वादी का 1/2 हक व हिस्सा शेष 1/6 हक व हिस्सा बख्तावरी का व 1/3 हक व हिस्सा मांगी का कानूनन बनता है। वादी का 1/2 हक व हिस्सा ही कानूनन बनता है किन्तु कब्जा व दखल सम्पूर्ण आराजियात पर वादी का ही होकर चला आ रहा है।

6. अत प्रार्थना है कि बजरिये घोषणात्मक बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर फरमाई जावे कि वादी विवादित आराजियात के 2/3 हक व हिस्से का व शेष 1/3 हक व हिस्से की खातेदार का तकार प्रतिवादी संख्या 2 है। यदि न्यायालय वादी को भी विवादित आराजियात का 2/3 हक व हिस्से का सहखातेदार काश्तकार होना नही माने तो प्रतिवादी संख्या 1 विवादित आराजियात की 1/6 हक व हिस्से की तथा वादी 1/2 हक व हिस्से का एवं शेष 1/3 हक व हिस्से की सहखातेदार काश्तकार प्रतिवादी संख्या 2 है कि घोषणात्मक डिकी सादिर फरमाई जावें। साथ ही बजरिये डिकी स्थाई निषेधाज्ञा की बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर फरमाई जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 विवादित आराजियात को रहन, बय, बक्षीस कर हस्तान्तरित नहीं करे करावे तथा न वादी को विवादित आराजियात से जबरन बेदखल ही करें करावें अर्थात वादी द्वारा विवादित आराजियात के तन्हा किये जा रहे निरन्तर शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग में कोई किसी प्रकार की बेजा दखलदांजी व हस्तक्षेप नही करें करावें।

7. प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। सम्मन की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिकार जवाब दावा अधिवक्ता हरिशचन्द्र टेलर द्वारा प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया एवं प्रतिवादी संख्या 2 बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने से दिनांक 29.01.2014 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई एवं प्रतिवादी संख्या 3 औपचारिक पक्षकार है।

8. प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकन किया कि वादवर्णित आराजियात स्वीकार है। वादग्रस्त आराजियात परसा बलाई के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की होने का तथ्य स्वीकार है किन्तु परसा बलाई वादी का गोद पिता नही है। लेहरी का कोई पुत्र जिवित न रहने का कथन भी गलत अंकित किया है। रामा पुत्र था जिसकी कुछ वर्श पूर्व मृत्यु हुई। वादी को कभी परसा बलाई के गोद नही रखा, न ही गोद किसी पारिवारीक रिती रिवाज का ही निर्वहन किया। दिनांक 31.12.1979 को वादी को गोद नही लिया न ही इस सम्वन्ध में कोई रजिस्टर्ड गोद नामा ही लेहरी पत्नि परसा बलाई ने वादी के हक में निष्पादित करवाया, न ही उसका कोई पंजीयन ही करवाया है। यदि ऐसा कोई

सहायक कलक्टर

दस्तावेज वादी के पास है तो वह फर्जी बिला व नुमाईशी होकर प्रतिवादी की जानकारी में नही है। लेहरी व परसा बलाई का वादी गोद पुत्र नही है व न ही उनकी सम्पदा पर काबिज है व उसका उपयोग उपभोग प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 निरन्तर रूप से मृतक परसा के विधिक वारीस होकर करते चले आ रहे है। प्रतिवादी मांगी के 1 पुत्र रामा हुआ जिसकी शादी प्रतिवादी संख्या 1 के साथ होने की बात सत्य है। प्रतिवादिया के पति होकर काफी साथ रह इसके बाद वर्श 1981 में उनकी मृत्यु हो गई तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ने लेहरी व परसा के साथ उनकी सेवा चाकरी की तत्पश्चात परसा का निधन हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 किसी नाम के व्यक्ति के साथ नाते गई और उसका अता–पता भी वादी ने वादपत्र में अंकित करता किन्तु वादी ने वादपत्र के शीर्षक में प्रतिवादिया का पता ग्राम खाखरमाला में ही रहना बताते हुए अंकित किया हैं। लेहरी वादी की गोद माता नही है और न ही वादी उसका गोद पुत्र है तो वादी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ अपना नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने का अधिकारी नही है। वादी का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नही है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 विधिक विरासतन उक्त वर्णित भूमियों पर काबिज है और भूमियां नाम पर दर्ज चली आ रही है। सजरा मनमकसुद तरीके से तैयार किया गया। परसा के तुलसीराम का कोई पारिवारीक सम्बन्ध नही और करीब 10 पीढ़ी दुर लगता है परसा का गोद पुत्र नही हो सकता है। लेहरी को वादी ने गोद लिया ही नही तो तो वादी का उक्त वर्णित भूमियों में कोई हक हिस्सा बनता ही नही है।

9. परसा की मृत्यु उपरान्त 1/3 हिस्सा लेहरी, 1/3 हिस्सा रामा, 1/3 हिस्सा मांगी में निहित हुआ तथा रामा की मृत्यु उपरान्त 1/3 हिस्सा में उनकी पत्नि बगतावरी आ गई तथा लेहरी की मृत्यु उपरान्त भूमियों मे उनके विधिक वारीस प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का हक हिस्सा निहित हो गया। प्रतिवादी संख्या 1 कही नाते नही गई तो उसका हिस्सा वादी में कैसे निहित हो सकता है। वादी 2/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार नही है। वादी कभी 1/3 हिस्सा बताता है कभी 2/3 हिस्सा बताता है तथा कभी 1/6 हिस्सा बताता है और कभी 1/2 हिस्सा बताता है, वादी को हिस्से का ध्यान नही है। वादी ने विरोधाभाषी तथ्य अंकित किये गये। अतः सादर प्रार्थना है कि वादी का वाद पत्र गलत, वेबुनियाद एवं आधारहीन तथ्यो पर आधारित होने से प्रतिवादिया के विरूद्व सव्यय खारीज फरमाया जावे।

10. वाद एवं प्रतिवादी के आधार पर प्रकरण निम्न तनकीयात कायम की गई :–

 1. आया वादग्रस्त भूमियों में वादी परसा बलाई का गोद पुत्र होने से 2/3 हिस्सा की खातेदार का तकार घोशित होने की घोशणा कराने का आधिकारी है। जिम्मे वादी
 2. आया कि वादग्रस्त भूमियों पर स्थाई निषेधाज्ञा की प्रतिवादीगण के विरूद्व जारी कराने का भी वादी अधिकारी है। जिम्मे वादी

 अनुतोष ?

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)रायपुर

11. साक्ष्य वादी में वादी ने अपने शपथ पत्र में अंकन किया कि वादग्रस्त आराजियात वादी के गोद पिता परसा बलाई की खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की थी। परसा जी की मृत्यु के उपरान्त विवदित आराजियात परसा की पत्नि अर्थात वादी की गोद माता लेहरी बेवा परसा के नाम अभिलिखित की गई। लेहरी ने अपने पुत्र सन्तान जिवित न रहने से पारिवारीक रितीरिवाज अनुसार गोद लेने एवे देने की प्रकिया का निर्वहन करते हुए वादी को विधिवत दिनांक 31.12.1979 को गोद लिया तथा इस सम्बन्ध एक रजिस्टर्ड गोद नामा लेहरी पत्नि परसा बलाई ने वादी के हक में निष्पादित किया। तथा कलम संख्या 5 में अंकन किया कि " परसा की मृत्यु के उपरान्त 1/3 हक व हिस्सा कानूनन लेहरी में, 1/3 हिस्सा रामा में व 1/3 हिस्सा मांगी में निहित हुआ तथा रामा की मृत्यु के उपरान्त रामा का 1/3 हक व हिस्से में से 1/6 माता लेहरी में व 1/6 पत्नि बख्तावरी में निहित होता है। किन्तु बख्तावरी के नाते चली जाने से सम्पूर्ण हक व हिस्सा मुझ वादी में निहित हो जाता है। इस प्रकार अव्वल तो मुझ वादी का विवादित आराजियात मे 2/3 हक व हिस्से का तथा शेष 1/3 हक व हिस्से की खातेदार काश्तकार प्रतिवादी 2 होती है। दोयम यदि बख्तावरी का हक व हिस्सा माना भी जावे तो भी उसका विवादित आराजियात में 1/6 हक व हिस्सा तथा मुझ वादी का 1/2 हक व हिस्सा की कानूनन बनता है। किन्तु कब्जा व दखल सम्पूर्ण आराजियात पर मुझ वादी का चला आ रहा है।" वादी ने अपनी जिरह में बताया कि जब गोदनामा निष्पादित किया गया तब उसकी उम्र 12–13 वर्ष थी और बयान के समय उसकी आयु 50 वर्ष से उपर बतायी।

12. वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई बहस में निवेदन किया कि परसा बलाई का वादी तुलछीराम गोद पुत्र है। परसा बलाई की मृत्यु के बाद कलम संख्या 1 में अंकित आराजी परसा की पत्नि लहरी के नाम दर्ज हुई। परसा के पुत्र सन्तान नही होने से परसा के निधन के बाद परसा की पत्नि लेहरी ने रजिस्टर्ड गोदनामा 1979 में किया जो प्रदर्श–1 है एवं इसके जरिए लेहरी ने तुलछी को गोद लिया। लेहरी की मृत्यु पर वादग्रस्त आराजियात का प्रतिवादी के नाम राजस्व रेकार्ड में नामान्तरण हुआ है। गोदपुत्र तुलछीराम के नाम नामान्तरण नही खुला है। परसा बलाई के एक जायन्दा पुत्र रामा एक जायन्दा पुत्री मांगी प्रतिवादी संख्या 2 एवं पत्नि लेहरी थे। रामा शादी के पश्चात् फोत हो गया उसकी वेवा बख्तावरी प्रतिवादी संख्या 1 है। प्रतिवादी ने अपने जवाबदावे के अंकन को सावित करने के लिए कोई साक्ष्य पेश नही किए है। साक्ष्य प्रतिवादी दिनांक 20.02.2025 को वंद कर दी गई थी। वादी द्वारा प्रदर्श–1 में पेश गोदनामा पंजीकृत है जिसे वैध माना जाना चाहिए। जवाव दावे के तथ्यो पर साक्ष्यों के अभाव मे विचार करना न्यायोचित नही है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 रामा की पत्नि बख्तावरी के रामा की मृत्यु के पश्चात् नाते जाने पर भी उसका हक माना है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 2 मांगी का अधिकार भी स्वीकार किया है। खसरा गिरदावरी तथा लगान के आधार पर खातेदारी अधिकार की

उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.) रायपुर

घोषणा नही की जा सकती है। इन्हे कब्जे के रूप में नही माना जा सकता है। पत्रावली में प्रदर्श किए गए दस्तावेजो के आधार पर वादपत्र स्वीकार किया जाए।

13. प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा अपने बहस में निवेदन किया कि प्रतिवादी को कुछ साबित करने की आवश्यकता नही है। वादी को वादपत्र साबित करना होता है। वादपत्र स्वच्छ हाथ से आना चाहिए। वादपत्र की कलम संख्या 2 के अनुसार परसा बलाई का वादी गोदपुत्र है लेकिन जीवित रहते परसा बलाई ने वादी को गोद नही रखा है। वादी को परसा बलाई की पत्नि लेहरी ने गोद लिया है। अतः वादी का परसा बलाई की सम्पति में हक न होकर सिर्फ लहरी के हिस्से पर ही अधिकार है। लेहरी के वारीस में भी 3 हिस्से होंगे। वादी का 1/9 हिस्सा बनता है। दत्तक अधिकार अधिनियम के तहत् गोद लिया जाने वाला व्यक्ति गोद लेने वाले व्यक्ति से 21 वर्ष छोटा होना चाहिए। गोद लेने की प्रक्रिया में प्राकृतिक माता का घोषणा पत्र होना चाहिए। गोद लेने के रीती रिवाज का पालन होना आवश्यक है। जिसका वादपत्र में अंकन नही है। रीतिरिवाजों में मंगलगान, गोद में बिठाना, सिर पर हाथ रखना, गुड़ खिलाना आदि का सम्पन्न किया जाना आवश्यक है जिसका की वादपत्र में अंकन नही किया गया है। वादपत्र में वादी के समस्त सम्पदा पर काबिज होने का अंकन है। रामा की मृत्यु कब हुई इसकी कोई जानकारी वादी द्वारा नही दी गई है। रामा की मृत्यु के बाद उसकी पत्नि बख्तावरी के नाते जाने का अंकन किया गया है किन्तु वह कहां नाते गई इसकी कोई जानकारी नही दी गई है ना ही इसे साबित किया गया है। वादपत्र से सम्बधित नोटिस नातायत पत्नि के नाम एव पते पर जाना चाहिए था यदि नाते गई होती तो। वादपत्र में कब्जा तन्हा वादी का बताया गया है एवं वादपत्र की कलम संख्या 3 में प्रतिवादी 1 व 2 के नाम को शुन्य माना है। वादपत्र में वादी ने वादग्रस्त आराजियात में स्वयं का कही 1/2 हिस्सा तो कही 2/3 हिस्सा बताया है जो कि विरोधाभासी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार रजिस्टर्ड गोदनामे में भी रस्मों को साबित करना आवश्यक है। प्रतिवादी के जिम्मे कोई तनकी नही है अतः साक्ष्य पेश करके कुछ साबित करने की भी जरूरत नही है। प्रकरण में साक्ष्य वादी में एकमात्र गवाही वादी है जिसमें वाद पत्र के तथ्यो को दोहराया गया है। परसा के प्रथम श्रेणी के वारीस रामा व उसकी पत्नि बख्तावरी है। वादी ने अपनी जिरह में रामा के परसा के बाद फोत होना बताया है। जैसा कि वादी ने बताया कि मांगी उसके साथ है तो ऐसे में मांगी सवसे उत्तम साक्ष्य थी वादी के लिए उसके गोदनामे के पक्ष में परन्तु उसे साक्ष्य वादी के रूप में पेश नही किया गया। रामा की मृत्यु के बाद लहरी की मृत्यु हुई है और जिरह में वादी द्वारा बताया कि उसको इसके बारे में पता नही है। वादी की जिरह में बताया कि लेहरी ने वादी को कव गोद रखा वादी को पता नही। परसा के परिवार के बारे में वादी को जानकारी नही है। परसा की मृत्यु के बाद जमीन रामा, लेहरी और मांगी के नाम आई। बख्तावरी का वर्तमान पता भी खाखरमाला का ही है जो वह खाखरमाला में किसके नाते गई जिसकी कोई जानकारी नही है। वादी के जैविक माता–पिता का गोदनामें में

सहायक कलक्टर

कोई घोषणा पत्र नहीं है अतः गोदनामे को वैध नही माना जा सकता है। वादी ने लेहरी के जीवनकाल में वादपत्र पेश नही किया। संवत 2033 तक खसरा गिरदावरी में काश्त करने वाला का नाम अंकन होता था। वादी ने अपनी जिरह में बताया कि उसे अपने प्राकृतिक पिता की मृत्यु की जानकारी है। प्राकृतिक पिता के विरासत के नामान्तरण का कोई दस्तावेज नही दिया है। प्राकृतिक पिता की जमीने वादी के नाम पर है। स्वच्छ हाथ से नाम हटाने के लिए व्यक्ति निवेदन कर सकता है। सिविल न्यायालय द्वारा वादी को गोदपुत्र घोषित कर दिए जाने के बाद ही उसे लेहरी का गोदपुत्र माना जाना चाहिए। वादपत्र सव्यय खारीज फरमाया जावे।

14. वादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी अधिवक्ता की बहस पर पुनः बहस में निवेदन किया कि गोद लिए जाने से जुड़ी रस्में पंजीकृत गोदनामे में साबिक करने की आवश्यकता नही है। गोदनामे को किसी न्यायालय में चुनौती नही दी गई है। वादपत्र पेश होने के बाद भी गोदनामे को चुनौति नही दी गई है। वादग्रस्त आराजियात पर वादी का कब्जा इसलिए है कि बख्तावरी नाते गई और मांगी ससुराल है। वादी का वादग्रस्त आराजियात पर कब्जे को इस वाद में साबित करने की आवश्यकता नही है। लेहरी ने गोदनामें में रामा को संवत 2036 में फोत होना बताया है। रामा की पत्नि नाते गई इसका अंकन गोदनामे में किया गया है। वादी तुलछीराम लेहरी के देवर का बेटा है इसका अंकन गोदनामे में है। लेहरी द्वारा वादग्रस्त आराजियात के बैचान कर दिए जाने पर गोदनामे की प्रमाणिकता एवं वादी को गोदपुत्र साबित करने के लिए सिविल न्यायालय में जाना पड़ता। बख्तावरी नाते गई है इसलिए वादपत्र में उसका हक नही माना है। अन्य अनुतोष न्यायालय के अनुसार निर्धारित होता है। गोदनामा किसी न्यायालय ने निरस्त नही किया है। परसा की मृत्यु के बाद जमीन प्रदर्श–6 में केवल लेहरी का नाम है जमाबंन्दी संवत 2061 से 2064 में। जमाबन्दी 2008 में वादग्रस्त आराजियात लेहरी से बख्तावरी व मांगी के नाम पर दर्ज रिकॉर्ड हुई है। मौखिक साक्ष्यो की अपेक्षा दस्तावेजी साक्ष्य अधिक महत्व रखते है। गोदपुत्र हमेशा पिता का माना जायेगा चाहे पिता फोत होने पर पत्नि ने लिया हो। जवाब दावे के आधार पर तनकी बनी है लेकिन जवाब दावे के तथ्य साबित करने होते है।

15. प्रकरण में तनकीवार वार निर्णय इस प्रकार है :–

1. **आया वादग्रस्त भूमियों में वादी परसा बलाई का गोद पुत्र होने से 2/3 हिस्सा की खातेदार काश्तकार घोषित होने की घोषणा कराने का आधिकारी है।**

जिम्मे वादी

I. इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। वादी ने इस तनकी के समर्थन में स्वयं के शपथ पत्र पर बयान पेश किए। दस्तावेजी साक्ष्यो में निम्न दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जो निम्न है :–

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) [illegible]

क.स.	दस्तावेज विवरण	प्रदर्श
1	पंजीकृत गोदनामा दिनांक 31.12.1979	प्रदर्श–1
2	जमाबन्दी संवत 2066 से 2069, ग्राम खाखरमाला, खाता संख्या 67	प्रदर्श–2
3	जमाबन्दी संवत 2062 से 2065, ग्राम खाखरमाला, खाता संख्या 122	प्रदर्श–3
4	मिलान क्षेत्रफल ग्राम खाखरमाला	प्रदर्श–4
5	जमाबन्दी संवत 2069 से 2072, ग्राम नान्दुड़ा, खाता संख्या 47	प्रदर्श–5
6	जमाबन्दी संवत 2061 से 2064, ग्राम नान्दुड़ा, खाता संख्या 79	प्रदर्श–6
7	मिलान क्षेत्रफल ग्राम नान्दुड़ा	प्रदर्श–7

II. वादी ने अपने शपथ पत्र की कलम संख्या 2 के अनुसार वादग्रस्त आराजियात वादी के गोद पिता परसा बलाई की खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की थी। परसा जी की मृत्यु के उपरान्त विवदित आराजियात परसा की पत्नि अर्थात वादी की गोद माता लेहरी बेवा परसा के नाम अभिलिखित की गई। लेहरी ने अपने पुत्र सन्तान जीवित न रहने से पारिवारीक रितीरिवाज अनुसार गोद लेने एवे देने की प्रक्रिया का निर्वहन करते हुए वादी को विधिवत दिनांक 31.12.1979 को गोद लिया तथा इस सम्बन्ध एक रजिस्टर्ड गोद नामा लेहरी पत्नि परसा बलाई ने वादी के हक में निष्पादित किया। तथा कलम संख्या 5 में अंकन किया कि " परसा की मृत्यु के उपरान्त 1/3 हक व हिस्सा कानूनन लेहरी में, 1/3 हिस्सा रामा में व 1/3 हिस्सा मांगी में निहित हुआ तथा रामा की मृत्यु के उपरान्त रामा का 1/3 हक व हिस्से में से 1/6 माता लेहरी में व 1/6 पत्नि बख्तावरी में निहित होता है। किन्तु बख्तावरी के नाते चली जाने से सम्पूर्ण हक व हिस्सा मुझ वादी में निहित हो जाता है। इस प्रकार अव्वल तो मुझ वादी का विवादित आराजियात मे 2/3 हक व हिस्से का तथा शेष 1/3 हक व हिस्से की खातेदार काश्तकार प्रतिवादी 2 होती है। दोयम यदि बख्तावरी का हक व हिस्सा माना भी जावे तो भी उसका विवादित आराजियात में 1/6 हक व हिस्सा तथा मुझ वादी का 1/2 हक व हिस्सा की कानूनन बनता है। किन्तु कब्जा व दखल सम्पूर्ण आराजियात पर मुझ वादी का चला आ रहा है।" वादी ने अपनी जिरह में बताया कि जब गोदनामा निष्पादित किया गया तब उसकी उम्र 12–13 वर्ष थी और बयान के समय उसकी आयु 50 वर्ष से उपर बतायी।

III. दस्तावेजी साक्ष्यो में उपलब्ध प्रदर्श–1 पंजीकृत गोदनामा है। जो दिनांक 31.12.1979 को लेहरी पत्नि परसा बलाई ने वादी तुसछीराम के पक्ष मे निष्पादित करवाया गया है। गोदनामें में अंकन अनुसार लेहरी पत्नि परसा बलाई के पति परसा बलाई का देहान्त होने के पश्चात् उसकी जायन्दा संन्तानों एक पुत्र रामा तथा एक पुत्री मांगी मे से पुत्र रामा का स्वर्गवास संवत 2036 में हो गया। रामा की पत्नि बख्तावरी है जो नाते चली गई तथा रामा के कोई सन्तान नही है। गोदनामें में अंकन है कि लेहरी द्वारा स्वेच्छा से स्थिरचित, स्थित बुद्वि एवं पूर्ण विवेक से अपने देवर के लड़के तुलछीराम पिता श्रीराम बलाई जो कि शादिशुदा है को गोद लिया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) ...

निम्नलिखित आराजियात का अंकन गोदनामें में किया गया है :–

क.स.	ग्राम का नाम	आराजी संख्या	रकबा
1	खाखरमाला	84	4 बिस्वा
2		85	5 बिस्वा
3		86	7 बिस्वा
4		87	1 बीघा
5	नान्दुड़ा	366	7 बिस्वा
6		367	1 बीघा 14 बिस्वा
7		312	17 बिस्वा
8		363	2 बीघा 5 बिस्वा
9		364	2 बिस्वा
10		365	7 बिस्वा

गोदनामें में उक्त आराजियात मे लेहरी ने अपना 1/2 हिस्सा बताया है एवं अपने बाद अपने सम्पूर्ण 1/2 हिस्से को अपने दत्तक पुत्र तुलछीराम के नाम करने का अंकन किया है।

प्रदर्श–3 जमाबन्दी खाखरमाला, तहसील रायपुर संवत 2062 से 2065 में खाता संख्या 122 में की आराजियात लेहरी बेवा परसा बलाई के नाम दर्ज रेकार्ड है। नामान्तरण संख्या 85 दिनांक 11.10.2008 को विरासत से लेहरी बेवा परसा बलाई के बजाय बख्तावरी पत्नि रामा, मांगी पुत्री परसा बलाई के नाम दर्ज कराने को स्वीकृत हुई। इससे आगामी जमाबन्दी रोटेशन में इनके नाम भूमि अभिलिखित होती रही है एंव वर्तमान जमाबन्दी में इन्ही खातेदारों के नाम चली आ रही है।

प्रदर्श–6 के ग्राम नान्दुड़ा तहसील रायपुर के खाता संख्या 79 की संवत 2061 से 2064 की जमाबन्दी में अंकित आराजियात लेहरी बेवा परसा बलाई के नाम दर्ज रेकार्ड है।

प्रदर्श–5 ग्राम नान्दुड़ा तहसील रायपुर के खाता संख्या 47 की संवत 2069 से 2072 की जमाबन्दी में अंकित आराजियात बख्तावरी पत्नि रामा, मांगी पुत्री परसा बलाई के नाम दर्ज रेकार्ड है।

IV. **हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा संख्या 14** के अनुसार " हिन्दु नारी की सम्पति उसकी आत्यांतिकतः अपनी सम्पति होगी –(1) हिन्दु नारी के कब्जे में की कोई भी सम्पति चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व या पश्चात् अर्जित की गई हो उसके द्वारा पूर्ण स्वामी के तौर पर न कि परिसीमित स्वामी के तौर पर धारित की जायेगी। **(स्पष्टीकरण)**–इस उपधारा में सम्पति के अन्तर्गत वह जंगम और स्थावर सम्पति आती है। जो हिन्दु नारी ने विरासत द्वारा अथवा वसीयत द्वारा अथवा विभाजन से अथवा भरण पोषण से या भरण पोषण की बकाया के बदले में अथवा अपने विवाह के पूर्व या विवाह के समय या पश्चात् दान द्वारा किसी व्यक्ति से चाहे वह सम्बधि हो या ना हो अपने अपने कौशल या परिश्रम द्वारा अथवा क्रय

द्वारा अथवा चिरभोग द्वारा अथवा किसी अन्य रीति से चाहे वह कैसी ही क्यों ना हो अर्जित की हो और ऐसी सम्पति भी जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से अव्यवहित पूर्व स्त्री धन के रूप में उसके द्वारा धारित थी।"

उक्त आधार पर विधवा महिला द्वारा अपने पति से विरासत से प्राप्त सम्पति जो पुश्तैनी ना होकर उसकी स्वअर्जित सम्पति की श्रेणी में आती है तथा वह उसका उपयोग–उपभोग एवं वसीयत स्वेच्छा से करने की अधिकारी है।

उक्त प्रकरण में वादी को परसा बलाई द्वारा गोद न लेकर उसकी मृत्यु के पश्चात् पत्नि लेहरी द्वारा गोद लिया गया तथा गोदनामें में उसके एक मात्र जायन्दा पुत्र रामा की भी मृत्यु हो जाने से कोई जीवित पुत्र न होने के कारण वादी को गोद लेना बताया। इससे स्पष्ट है कि परसा की मृत्यु के समय रामा जीवित था। परसा बलाई की मृत्यु के पश्चात् उसकी विरासत से उसकी पत्नि लेहरी बेवा परसा बलाई का वादग्रस्त आराजियात में 1/3 हिस्सा लेहरी की स्वअर्जित सम्पति में आता है। लेहरी के पुत्र रामा की मृत्यु के पश्चात् विरासत से रामा के हक हिस्से की 1/3 आराजियात मे लेहरी व रामा की पत्नि बख्तावरी प्रथम श्रेणी के वारीसान होने से उक्त 1/3 हक हिस्से मे से आधा–आधा हिस्सा माता लेहरी व पत्नि बख्तावरी के 1/6–1/6 हिस्सा निहित होता है। इस प्रकार से लेहरी का कुल वादग्रस्त आराजियात में 1/2 हिस्सा बनता है जो कि स्वअर्जित की श्रेणी में आता है।

च. हिन्दु दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 12 गोद लेने के प्रभाव – की उपधारा (सी) के अनुसार दत्तक ली गई सन्तान किसी भी व्यक्ति को उस सम्पति से वंचित नही कर सकेगी जो दत्तक लेने से पूर्व उसमें निहित थी।

उक्तानुसार प्रतिवादी संख्या 2 मांगी का अपने पिता की मृत्यु के पश्चात विरासत से वादग्रस्त आराजियात में 1/3 हिस्सा निहित होता है तथा लेहरी ने परसा की मृत्यु के बाद वादी तुलछीराम को गोद लिया इससे मांगी का उक्त 1/3 हिस्सा अप्रभावित रहता है।

इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 बख्तावरी के पति रामा का परसा बलाई मृत्यु के पश्चात विरासत से वादग्रस्त आराजियात में 1/3 हिस्सा निहित हुआ तथा रामा की मृत्यु के बाद प्रतिवादी संख्या 1 बख्तावरी का वादग्रस्त आराजियात में 1/6 हिस्सा व माता लेहरी का 1/6 हिस्सा निहित हुआ। रामा की मृत्यु के बाद वादी तुलछीराम को गोद लिया इससे बख्तावरी का उक्त 1/6 हिस्सा अप्रभावित रहता है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा वादी को लेहरी बेवा परसा द्वारा गोद लेना स्वीकार किया गया है। गोदनामा पंजीकृत है और किसी न्यायालय द्वारा निरस्त किए जाने का कोई दस्तावेज पत्रावली पेश नही है। अतः इसे वैध माना जाता है। गोदनामें में वादग्रस्त आराजियात का अकंन किया गया है तथा उसमें लेहरी ने अपना 1/2

हिस्सा निहित बताया है जो कि तनकीवार विवेचन की कलम संख्या 1 (घ) से स्पष्ट है। तथा उक्त हिस्सा लेहरी के स्वअर्जित सम्पति की श्रेणी मे आता है।

गोदनामें में वादग्रस्त आराजियात में अपने सम्पूर्ण 1/2 हिस्से को अपने बाद अपने दत्तक पुत्र तुलछीराम के नाम किए जाने का अंकन किया है। इससे स्पष्ट है कि ने अपनी स्वअर्जित वादग्रस्त आराजियात के सम्बन्ध में गोदनामें में ही अपने उत्तराधिकार का अंकन कर दिया था। उक्त गोदनामें के पश्चात का कोई वसीयत से जुड़ा दस्तावेज या साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नही होने से उक्त गोदनामें के अंकन को ही लेहरी की अन्तिम वसीयत स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

प्रतिवादीगण द्वारा पत्रावली में कोई साक्ष्य पेश नही किए गए तथा प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2015(1) पेज संख्या 579 राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बैंच के ब्रदीबाई बनाम राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 03.11.2014 की प्रति पेश करी गई। उक्त न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर चस्पा नही होता है क्योंकि इस प्रकरण में वादी के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड गोदनामा उपलब्ध है।

उपरोक्त विवरण अनुसार इस तनकी को वादी आंशिक रूप से साबित कराने में सफल रहा है जिससे इस तनकी को आशिंक रूप वादी के पक्ष में निर्णित करते हुए वादी को वादग्रस्त आराजियात में 2/3 हिस्से के बजाय 1/2 हिस्से का ही खातेदार काश्तकार घोषित होने की घोषणा कराने का आधिकारी स्वीकार किया जाता है।

2. **आया कि वादग्रस्त भूमियों पर स्थाई निषेधाज्ञा की प्रतिवादीगण के विरूद्व जारी कराने का भी वादी अधिकारी है। जिम्मे वादी**

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। वादी के पक्ष में तनकी संख्या 1 आंशिक रूप से निर्णित होने से वादग्रस्त आराजियात में वादी 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित होने का अधिकारी पाया गया। वादी अपने 1/2 हक हिस्से तक प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः उक्त तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

16. उपरोक्त तनकीवार विवेचन के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि वादपत्र की कलम संख्या 4 में वादी एवं प्रतिवादीगण के सजरे एवं आराजियात में पक्षकारों के हिस्से का उल्लेख किया है जिसमें विवादित आराजियात को मूलतः परसा बलाई का स्वीकार करते हुए उसकी मृत्यु उपरान्त आराजी के 3 हिस्से लेहरी, रामा, और मांगी के होना तथा रामा की मृत्यु उपरान्त लेहरी और बख्तावरी के पक्ष में होना स्वीकारा है। वादी अधिवक्ता ने अपनी बहस व वादपत्र में वादग्रस्त आराजियात में मांगी के 1/3 व बख्तावरी के 1/6 हिस्से को स्वीकार किया है। लेहरी द्वारा वादी के पक्ष में निष्पादित गोदनामा रजिस्टर्ड है जो मूल ही वादपत्र के साथ संलग्न है। तनकीवार विवेचन से स्पष्ट है कि वादी तुलछीराम वादग्रस्त आराजियात में 1/2 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 1

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) ...

बख्तावरी 1/6 हिस्से की व प्रतिवादी संख्या 2 मांगी 1/3 हिस्से के हकदार साबित हुए है। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम खाखरमाला प0ह0 खाखरमाला में स्थित खाता संख्या 81 में अंकित आराजियात जिसका विवरण निम्न है :–

क.स.	ग्राम का नाम	आराजी संख्या	रकबा है0 में
1	खाखरमाला	135	0.16
2	खाखरमाला	136	0.04
3	खाखरमाला	138	0.06
4	खाखरमाला	139	0.05
कुल किता, कुल रकबा		4	0.31

इसी प्रकार ग्रम नान्दुडा पटवार मण्डल खाखरमाला में खाता संख्या 66 में अंकित आराजियात जिसका विवरण निम्न है :–

क.स.	ग्राम का नाम	आराजी संख्या	रकबा है0 में
1	नान्दुड़ा	373	0.18
2	नान्दुड़ा	446	0.36
3	नान्दुड़ा	447	0.01
4	नान्दुड़ा	448	0.23
5	नान्दुड़ा	449	0.02
6	नान्दुड़ा	450	0.07
7	नान्दुड़ा	451	033
कुल किता, कुल रकबा		7	1.20

उक्त खातों में वादी को 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 बख्तावरी को 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 मांगी को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2026 को सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व मुकदमा नम्बर :– 1/2024

जीसीएमएस नम्बर :– 2024/00100 वाद पत्र

उनवान

1. तुलछीराम गोदपुत्र परसी बलाई पिता श्रीराम बलाई निवासी खाखरमाला तहसील रायपुर

वादी

बनाम

1. बख्तावरी उर्फ कस्तुरी पत्नि रामा बलाई निवासी खाखरमाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. मांगी पुत्री परसा बलाई निवासी खाखरमाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा राजस्थान

प्रतिवादीगण

दिनांक 15/1/2026

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम खाखरमाला प0ह0 खाखरमाला में स्थित खाता संख्या 81 में अंकित आराजियात जिसका विवरण निम्न है :–

क.स.	ग्राम का नाम	आराजी संख्या	रकबा है0 में
1	खाखरमाला	135	0.16
2	खाखरमाला	136	0.04
3	खाखरमाला	138	0.06
4	खाखरमाला	139	0.05
कुल किता, कुल रकबा		4	0.31

इसी प्रकार ग्रम नान्दुडा पटवार मण्डल खाखरमाला में खाता संख्या 66 में अंकित आराजियात जिसका विवरण निम्न है :–

क.स.	ग्राम का नाम	आराजी संख्या	रकबा है0 में
1	नान्दुड़ा	373	0.18
2	नान्दुड़ा	446	0.36
3	नान्दुड़ा	447	0.01
4	नान्दुड़ा	448	0.23
5	नान्दुड़ा	449	0.02
6	नान्दुड़ा	450	0.07
7	नान्दुड़ा	451	033
कुल किता, कुल रकबा		7	1.20

उक्त खातों में वादी को 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 बख्तावरी को 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 मांगी को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 15.01.2026 को सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) के हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी की गई।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा